।। कार्यालय, निदेशक, राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, राजस्थान, जयपुर ।।

(नेहरू नगर, आर0पी0ए0 रोड़, जयपुर फोन 0141–2301584, फैक्स 0141–2301859)
ई–मेलः director.fsl@rajasthan.gov.in

क्रमांकः–न.05(10)लेबो–संस्था/2020/पार्ट–II/ 1017-22 दिनांकः– 24/1/25

::आदेशः:

सरदार पटेल पुलिस, सुरक्षा और दाण्डिक न्याय विश्वविद्यालय, जोधपुर द्वारा वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक एवं कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक भर्ती परीक्षा 2022 आयोजित कर पत्रांक SPUP/2024/VCO/1351 दिनांक 29.11.2024 के द्वारा जारी कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक के अभ्यर्थियों की अंतिम चयन सूची के आधार पर राजस्थान फोरेन्सिक साईन्स सबोर्डिनेट सर्विस रूल्स 1980 के अनुसरण में चयन सूची में अंकित निम्न अभ्यर्थी की स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट, शैक्षणिक दस्तावेजो, जन्म तिथि, जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन इत्यादि सही पाये जाने पर उनके नाम के सम्मुख अंकितानुसार खण्ड में कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक के पद पर 2 वर्ष की परीवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी निर्देश/परिपत्र तथा सेवा नियमों के अनुसार कार्मिक विभाग (क–2) की अधिसूचना संख्या स.7(2) डी.ओ.पी./ए–11/2005 दिनांक 20.01.2006 व राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017 की अधिसुचना एफ. 15(1) एफ.डी.(रूल्स)/2017 दिनांक 30.10.2017 के अनुसार कार्यग्रहण करने की तिथि से पै मैट्रिक्स लेवल–10 में नियत देय स्थिर मासिक पारिश्रमिक रूपये 23,700/– (तेईस हजार सात सौ मात्र) पर एतद द्वारा नियुक्ति प्रदान की जाकर उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर पदस्थापन किया जाता है:–

क्र. स.	रोल न.	मैरिट संख्या	नाम अभ्यार्थी मय पिता का नाम	पद मय खण्ड का नाम	स्थाई निवास का पता	वर्ग	जन्म तिथि	पदस्थापन स्थान
1	JA01011430	प्रतिक्षा सूची–7	श्री विकास कुमार पुत्र श्री पुखा राम	कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक (विष)	49, मेघवालो का बास, गॉव–सेपटावा, पोस्ट भादरलाऊ, जिला पाली, राज0 306503	अनुसूचित जाति	29.09.1992	क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, कोटा

कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक के पद पर नियुक्ति निम्न शर्तो के अध्याधीन होंगी:–

1. उक्त नियुक्ति राजस्थान फोरेन्सिक साईन्स सबोर्डिनेट सर्विस रूल्स 1980 के उपबंधों एव अपेक्षाओं के अनुसार की गई है, जो राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी आदेशों/परिपत्रों में अधिकथित निबंधनों एवं शर्तो के अध्यधीन है।
2. दो वर्ष की परीवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में संतोषजनक सेवा पूर्ण करने के उपरान्त ही इनका वेतन निर्धारण कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक के पद पर पै मैट्रिक्स लेवल–10 में नियमानुसार वेतन एवं उस पर अन्य भत्ते देय होंगे।
3. परीवीक्षाकाल के दौरान स्थिर पारिश्रमिक के अलावा अन्य भत्ते (मकान किराया, मंहगाई भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता एवं विशेष वेतन) आदि देय नही होंगे। इस अवधि को वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए गणना योग्य नही माना जावेगा।
4. परीवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में अन्य सुविधा या अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों में संशोधित प्रावधानों के अनुसार देय होंगे।
5. सेवा में नियुक्त किये गये अभ्यर्थियों में से कोई भी अभ्यर्थी यदि प्रशिक्षण की कालावधि के दौरान या प्रशिक्षण की समाप्ति के दो वर्षो के भीतर त्याग पत्र देता है या कोई अन्यत्र नियुक्ति ग्रहण कर लेता है, तो प्रशिक्षण की कालावधि के दौरान उसे संदत्त की गई परिलब्धियों की दो गुना राशि तथा सरकार द्वारा उसके प्रशिक्षण पर व्यय की गई राशि की दो गुना राशि सरकार का प्रति संदत्त करने की अपेक्षा की जावेगी, तदापि यात्रा और दैनिक भत्तो के रूप संदत्त रकम वसूली योग्य नही होगी। अभ्यर्थी सेवा ग्रहण करने से पूर्व विहित प्रारूप में इस आशय का एक बन्ध पत्र निष्पादित करेंगे।
6. राजस्थान यात्रा भत्ता नियमों के अनुभाग–1 अध्याय में आने वाले मामलों को छोडकर सेवा ग्रहण करने के लिए कोई यात्रा भत्ता संदत्त नही होगा।
7. यदि अभ्यर्थी का पुलिस सत्यापन Attestation Form में उल्लेखित सभी स्थानों से प्राप्त नही हुआ है, तो इनकी नियुक्ति सभी स्थानों से पुलिस सत्यापन प्राप्त होने तक प्रोविजनल रहेगी।
8. बकाया चरित्र सत्यापन में विलम्ब की स्थिति में इनकी नियुक्ति पूर्ण से प्रोविजनल मानतें हुए, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट के अध्यधीन रहेगी। यदि इनके विरूद्ध प्रतिकुल चरित्र सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त होती है तो नियुक्ति स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी। इस संबंध में अभ्यार्थी का नियुक्ति हेतु दावा मान्य नही होगा।
9. नियुक्ति से पूर्व आपराधिक प्रकरणों के संबंध में अभ्यर्थी को self declaration अथवा शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि किसी अभ्यर्थी के विरूद्ध प्रतिकूल रिपोर्ट पाई जाती है, तो ऐसे अभ्यर्थी की नियुक्ति निरस्त समझी जावेगी। साथ ही नियमानुसार आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी ऐसे अभ्यर्थी के विरूद्ध अमल में लाई जावेगी।

10. नियुक्त अभ्यर्थी जो विवाहित है, उन्हें अपना विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र एवं जीवित संतान/संतानों के संबंध में शपथ पत्र उपस्थिति के समय प्रस्तुत करना आवश्यक होगा अन्यथा उपस्थिति की अनुमति प्रदान नही की जावेगी। दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात् दो से अधिक संतान होने वाले अभ्यर्थी नियुक्ति के पात्र नही है। परन्तु प्रथम प्रसव से एक जीवित संतान है, एवं पश्चावर्ती प्रसव में एक से अधिक संतान होने पर ऐसी संतानों को एक इकाई ही माना जावेगा। राज्य सरकार के परिपत्र संख्या एफ–13 (3) एफडी/रूल्स/2001 दिनांक 04.10.2001 एवं संख्या प–7(1) कार्मिक/क–2/97 पार्ट जयपुर दिनांक 13.08.2004 के अन्तर्गत नियुक्ति के उपरान्त यदि 02 से अधिक संतान होने के तथ्य सामने आते है तो नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त माना जाकर सेवा से पृथक कर दिया जावेगा।
11. अभ्यर्थी द्वारा विवाह में दहेज नही लेने/देने का शपथ पत्र ड्यूटी ज्वाईन करने से पूर्व प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा। विवाह मे दहेज प्राप्त नही करने, एक से अधिक पति/पत्नि नही रखने, दस्तावेज सत्यापन के बाद फर्जी/परिवर्तित/कूटरचित दस्तावेज पाया जाता है या अन्य कोई आपराधिक या अवांछनीय गतिविधियों में सम्मिलित होने संबंधी तथ्य प्रकाश में आने पर बिना नोटिस तत्काल नियुक्ति आदेश निरस्त कर सेवा से पृथक किया जावेगा।
12. अभ्यर्थी से धूम्रपान एवं गुटखा सेवन नही करने के संबंध में ड्यूटी ज्वाईन करने से पूर्व शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा।
13. परिवीक्षावधि के दौरान इनका कार्य या आचरण संतोषजनक नही पाया जावें अथवा यह प्रतीत हो की इनमें कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक के पद की दक्षता नही है, तो नियमानुसार इनकी सेवाएं तुरन्त प्रभाव से समाप्त की जायेगी।
14. यह नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशो/परिपत्रों के अधीन शासित होगी।
15. परीवीक्षावधि के दौरान नियुक्त अभ्यर्थियों को राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जयपुर द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूर्ण करना अनिवार्य होगा।

उक्त अभ्यर्थी नियुक्ति पत्र प्राप्ति के 07 दिवस में अपनी उपस्थिति रिपोर्ट अपने नाम के सम्मुख अंकित पदस्थापन स्थान पर प्रस्तुत करेंगे। किसी कारणवश 07 दिवस उक्त पद का कार्यभार संभालने में असमर्थ हो, तो पूर्ण विवरण के साथ कारण स्पष्ट करते हुये निम्न हस्ताक्षरकर्ता को सूचित कर देवें कि वे कब तक कार्यभार संभालेंगे। यदि निश्चित अवधि में कार्यग्रहण नहीं किया गया अथवा कोई उत्तर प्राप्त नहीं होने की स्थिति में यह मान लिया जायेगा कि अभ्यर्थी उक्त पद पर नियुक्ति का इच्छुक नहीं है और उनका नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जायेंगे।

ई.ओ.बी.– 39
दिनांक– 24-01-2025

24/1/25
(डॉ. अजय शर्मा)
निदेशक
राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला,
राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–
1. संयुक्त शासन सचिव, गृह (ग्रुप–1) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. अतिरिक्त निदेशक, मुख्य प्रयोगशाला, जयपुर।
3. अतिरिक्त निदेशक, क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, कोटा को भेजकर लेख है कि उक्त अभ्यार्थी से ड्यूटी ज्वाईनिंग से पूर्व उपरोक्तानुसार शपथ/बंधक पत्र प्राप्त कर शपथ पत्र व ड्यूटी ज्वोईनिंग रिपोर्ट तत्काल इस कार्यालय मे प्रेषित करें।
4. नोडल अधिकारी, राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करें।
5. संबंधित अभ्यर्थी को जरिये ई–मेल/स्पीड–पोस्ट।
6. ई.ओ.बी./पी.एफ.।

24/1/25
निदेशक